

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर की 14वीं बोर्ड बैठक (परिचालन के माध्यम से) हेतु प्रस्ताव।

मद संख्या-01 :-

अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) नियमावली, 2018 एवं अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 के अंगीकरण के सम्बंध में।

उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग-02 देहरादून की अधिसूचना संख्या-121/XXX(2)/2018-30(44)/2017 दिनांक-21 मई, 2018 द्वारा अधिनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) नियमावली, 2018 प्रख्यापित की गयी है। उक्त के अतिरिक्त उत्तरांचल शासन, कार्मिक अनुभाग-02 देहरादून की अधिसूचना संख्या-716/XXX(2)/2004-55(42)/2004 दिनांक-14 जून, 2004 द्वारा अधिनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 प्रख्यापित की गयी है।

संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून के पत्रांक-360/उडा-24/बोर्ड बैठक/2014 दिनांक-04.01.2023 के द्वारा प्रश्नगत नियमावलियों को प्राधिकरण बोर्ड में अंगीकृत किये जाने हेतु लिखा गया है।

अतः उक्तानुसार अधिनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) नियमावली, 2018 एवं उत्तरांचल शासन, कार्मिक अनुभाग-02, देहरादून की अधिसूचना संख्या-716/XXX(2)/2004-55(42)/2004 दिनांक-14.06.2004 द्वारा अधिनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 प्रख्यापित की अधिसूचना को यथा प्रस्तावित अनुसार जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर क्षेत्रान्तर्गत अंगीकरण किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष परिचालन के माध्यम से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


प्रबन्ध निदेशक, (प्रशासनिक)
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन
विकास एवं निर्माण निगम,
देहरादून।


मुख्य नगर एवं ग्राम
नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन
विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून


सचिव, (प्रतिनिधि)
वित्त विभाग,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।


सचिव,
आवास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।


नगर आयुक्त,
नगर निगम रूद्रपुर,
ऊधमसिंह नगर


उपाध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
ऊधमसिंह नगर


जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर


अध्यक्ष/आयुक्त,
कुमारकुं मण्डल,
नैनीताल।